कॉफी उत्पादकों के लिए वर्षाबीमा योजना

- आरआईएससी
- अरेबिका और रोबस्ता के लिए मानसून की बारिश के लिए प्रति हेक्टेयर प्रीमियम

आरआईएससी विशेषताएं

1. भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड (एआइसी) कॉफी उत्पादकों के लिए वर्षापात बीमा योजना (आरआईएससी) पेश करती है, जिसमें वर्षाके कारण कॉफी उत्पादन में गिरावट के कारण होनेवाले नुकसान की भरपाई की जा सके।

2. इसमें फूलने और काला होने की अवधि में वर्षामें कमी का खतरा कवर किया जाता है। साथ ही कर्नाटक में जुलाई-अगस्त में मानसून के दौरान अतिवृष्टि का खतरा भी कवर होता है।

3. आरआईएससी अरेबिका के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और रोबस्ता के लिए 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक का बीमा करता है।

4. काफी बोर्ड छोटे कॉफी उत्पादकों (10 हेक्टेयर या कम में काफी उगानेवाले) को प्रीमियम में 50 प्रतिशत की सब्सिडी, अरेबिका के लिए 2500 रुपये प्रति हेक्टेयर और रोबस्ता के लिए 2000 रुपये प्रति हेक्टेयर अधिकतम देता है। अन्य कॉफी उत्पादक भी आरआईएससी के तहत बीमा का लाभ ले सकते हैं।

5. मानसून की बारिश के खिलाफ बीमा कवर 30 जून, 2007 तक एआईसी के अधिकृत एजेंटों, जिनसे कॉफी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है, से खरीदा जा सकता है।

6. आरआईएससी जुलाई और अगस्त 2007 में लगातार सात दिन तक हर दिन न्यूनतम 35 मिमी वर्षा होने की स्थिति में नगद मुआवजा दे सकता है।

दिन	अरेबिका	रोबस्ता
8 दिन	3000 रुपये	2000 रुपये
9 दिन	5000 रुपये	4000 रुपये
10 दिन	8000 रुपये	6000 रुपये

7. प्रीमियम की राशि क्षेत्र के आधार पर भिन्न होगी। इसकी गणना कर्नाटक के अलग-अलग वर्षा क्षेत्रों के आधार पर की जायेगी।

8. कॉफी वर्षाबीमा के दावे स्वचालित ढंग से वर्षाका आंकड़ा मिलने के बाद निबटाये जायेंगे। कॉफी उत्पादकों को नुकसान का विवरण या दावा दायर करने की जरू रत नहीं है। बीमा अवधि खत्म होने के 45 दिन के भीतर दावों का भुगतान कर दिया जायेगा।

यह सूचना काफी बोर्ड की वेबसाइट (www.indiacoffee.org) पर भी उपलब्ध है। उत्पादक निकटवर्ती लायजन या जन सम्पर्क अधिकारी के कार्यालय या काफी बोर्ड के जेएलओ या एसएलओ अथवा एआईसी के कृषि अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं।